जीसीएमएस नं.2024/150

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर0ए0एस0

ई0सी0एक्ट प्रकरण सं0 04/2024

राज्य सरकार जरिये कविता, जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर

प्रार्थी

बनाम

1. श्री दयाराम पुत्र श्री चुननाथ, निवासी नरसिंहपुरा, तह. पदमपुर, श्रीगंगानगर।
2. फर्म/दुकान बुडानिया मार्केट मैन रोड, नरसिंहपुरा, तह. पदमपुर, श्रीगंगानगर।

अप्रार्थी

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्तशुदा सामग्री 16 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 227.2 किलोग्राम गैस एवं एक कांटा, एक छोटा सिलेण्डर, ब्लयू बुक (3 साधारण एवं 20 उज्जवला योजना) 6 पाईप प्लास्टिक, 2 बांसुरी एवं तीन प्लास्टिक पाईप मय रेगयुलेटर, तीन मोटर को राजसात करने बाबत।

उपस्थित : प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय प्रतिनिधि
अप्रार्थी अधिवक्ता रामचन्द्र धारणिया।

निर्णय दिनांकः 30.05.2025

प्रस्तुत प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि बुडानिया मार्केट मैन रोड़, नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर की दुकान में घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रिफिलिंग के कार्य में उपयोग किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर गय प्रवर्तन स्टॉफ दिनांक 21.09.2024 को उक्त दुकान पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच मौके पर **श्री दयाराम पुत्र श्री चुननाथ जाति नाथ उम्र 55 वर्ष निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर** उपस्थित मिला जिन्होने स्वयं को उक्त दुकान का मलिक बताया। श्री दयाराम पुत्र श्री चुननाथ की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया। दुकान की जांच में पाया कि दुकान में घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रिफिलिंग के कार्यों में उपयोग किया जाता है। मौके पर उक्त दुकान में 16 घरेलू गैस सिलेण्डर, एक कांटा, एक छोटा सिलेण्डर, ब्लयू बुक (3 साधारण एवं 20 उज्जवला योजना) 6 पाईप प्लास्टिक, 2 बांसुरी एवं तीन प्लास्टिक पाईप मय रेगयुलेटर, तीन मोटर पाये गये। मौके पर दयाराम पुत्र श्री चुननाथ अवैध गैस रिफलिंग करता पाया गया। मौके पर 09 घरेलू गैस सिलेण्डर भारत गैस कम्पनी एवं 07 घरेलू गैस सिलेण्डर जो इंडेन गैस कम्पनी के है। मौके पर पाये गये 16 घरेलू गैस सिलेण्डर, एक कांटा, एक छोटा सिलेण्डर, ब्लयू बुक (3 साधारण एवं 20 उज्जवला योजना) 6 पाईप प्लास्टिक, 2 बांसुरी एवं तीन प्लास्टिक पाईप मय रेगयुलेटर, तीन मोटर वजह सबूत जब्त किये गये। मौके पर उक्त सिलेण्डरों के भण्डारण संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज **श्री दयाराम पुत्र श्री चुननाथ** द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री दयाराम पुत्र श्री चुननाथ की दुकान पर पाये गये 16 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं एक कांटा, एक छोटा सिलेण्डर, ब्लयू बुक (3. साधारण एवं 20 उज्जवला योजना) 6 पाईप प्लास्टिक, 2 बासुरी एवं तीन प्लास्टिक पाईप मय रेगयुलेटर, 03 मोटर को जरिये फर्द जब्ती जप्त किये गये एवं **काशीराम पुत्र श्री रामकुमार उम्र 35 वर्ष जाति जाट, गोदाम कीपर, श्री दुर्गा इण्डेन गणेशगढ़** को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका व जब्ती एवं फर्द सुपुदर्गीनामा अलग से तैयार किया गया। उपर्युक्त जाच में यह स्पष्ट है कि श्री दयाराम पुत्र श्री चुननाथ द्वारा द्वारा अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलेण्डरों

अति0 जिला कलैक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

उपयोग करते हुए अवैध गैस रिफिलिंग कार्य में किया जा रहा था। दयाराम पुत्र श्री धुननाथ के द्वारा घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर से अवैध गैस रिफलिंग का लेकर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1)(ख) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन्न किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि मौके से 16 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर मय 227.2 किलोग्राम गैस एवं एक कांटा, एक छोटा सिलेण्डर, ब्लयू ब्लयू बुक(3 साधारण एवं 20 उज्जवला योजना) 6 पाईप प्लास्टिक, 2 वांसुरी एवं तीन प्लास्टिक पाईप मय रेग्युलेटर, 03 मोटर को राजसात करने का आदेश फरमायें।

परिवाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने जवाब के कथनों को ही वहस में दोहराते हुए कथन किया कि

1. यह कि दिनांक 21.09.2024 को जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रार्थी दयाराम की दुकान से 16 घरेलू गैस सिलेण्डर, एक कांटा, एक छोटा सिलेण्डर ब्ल्यू बुक, तीन साधारण एवं 20 उज्जवल योजना, 6 पाईप प्लास्टिक, 2 वांसुरी एवं 3 प्लास्टिक पाईप मय रेगुलेटर, तीन मोटर बिना कोई अनुज्ञा पत्र/परमिट नहीं होने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम में उल्लंघन मानते हुए उक्त समस्त सामान को जब्त दिखाया गया जबकि वास्तव में उक्त दुकान में 16 घरेलू गैस सिलेण्डर ही पड़े थे।

2. यह कि प्रार्थी की दुकान के साथ एक खाली दुकान है जिसमें प्रार्थी व उसके परिवार वाले व गांव वालों के खाली गैस सिलेण्डर रखे हुए होते हैं क्योंकि प्रार्थी की दुकान के पास ही गैस की ट्राली आकर उपभोक्ता को जारी की गई कॉपी के अनुसार गैस सिलेण्डर का वितरण करती है। प्रार्थी, उसके परिवार व गांव वालों ने अपनी सुविधा के अनुसार जैसे जैसे उनके उपयोग होने के बाद सिलेण्डर खाली होते हैं उन्हें भरवाने के लिये जारी बुक, खाली सिलेण्डर व रूपये प्रार्थी को देकर चले जाते हैं और ट्राली आने पर सिलेण्डर भरवाने का बोल जाते हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो, गांव का माहौल पारिवारिक माहौल है इसलिये प्रार्थी को किसी को उक्त दुकान में खाली सिलेण्डर रखने से मना नहीं करता। खाली सिलेण्डर एक साथ नहीं रखे जाते, जिसका सिलेण्डर खाली हो जाता है वही रखकर जाता है।

3. यह कि प्रार्थी गांव वालों व ट्राली वालों से सिलेण्डर भरवाने का कोई कमीशन प्राप्त नहीं करता बल्कि मानवता के नाते उक्त कार्य कर रहा था।

4. यह कि प्रार्थी ने कभी भी किसी प्रकार की गैस रिफलिंग का कार्य नहीं किया। जिला रसद अधिकारी द्वारा जो 16 सिलेण्डरों की कार्यवाही की गई है वह अवैध सिलेण्डर नहीं है सभी की पासबुक जारी है। मौका पर प्रार्थी ने जिला रसद अधिकारी को उक्त सभी सिलेण्डरों की पासबुक दिखाई थी लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं सुनी और गैस सिलेण्डरों के साथ साथ पासबुक भी अपने कब्जे में ले ली।

5. यह कि जिला रसद अधिकारी द्वारा श्रीमान् न्यायालय के समक्ष धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम में गलत तथ्यों पर इस्तगासा प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा बिना किसी विलम्ब के श्रीमान् न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर जवाब, लिखित बहस व दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये हैं।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के विरूद्ध बिना किसी उल्लंघन के प्रस्तुत किया

अति० जिला कलैक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम को ड्रॉप कर प्रार्थी के उक्त सामान को लौटाये जाने का आदेश प्रदान करें।

राजकीय पैरोकार ने अपने बहस में व्यक्त किया है कि बुडानिया मार्केट मैन रोड़, नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर की दुकान में घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रिफिलिंग के कार्य में उपयोग किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टॉफ दिनांक 21.09.2024 को उक्त दुकान पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच मौके पर **श्री दयाराम पुत्र श्री चुननाथ जाति नाथ उम्र 55 वर्ष निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर** उपस्थित मिला जिन्होंने स्वयं को उक्त दुकान का मलिक बताया। श्री दयाराम पुत्र श्री चुननाथ की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया। दुकान की जांच में पाया कि दुकान में घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रिफिलिंग के कार्यों में उपयोग किया जाता है। मौके पर उक्त दुकान में 16 घरेलू गैस सिलेण्डर, एक कांटा, एक छोटा सिलेण्डर, ब्लयू बुक (3 साधारण एवं 20 उज्जवला योजना) 6 पाईप प्लास्टिक, 2 बांसुरी एवं तीन प्लास्टिक पाईप मय रेग्युलेटर, तीन मोटर पाये गये। मौके पर दयाराम पुत्र श्री चुननाथ अवैध गैस रिफलिंग करता पाया गया। मौके पर 09 घरेलू गैस सिलेण्डर भारत गैस कम्पनी एवं 07 घरेलू गैस सिलेण्डर जो इंडेन गैस कम्पनी के हैं। मौके पर पाये गये 16 घरेलू गैस सिलेण्डर, एक कांटा, एक छोटा सिलेण्डर, ब्लयू बुक (3 साधारण एवं 20 उज्जवला योजना) 6 पाईप प्लास्टिक, 2 बांसुरी एवं तीन प्लास्टिक पाईप मय रेगयुलेटर, तीन मोटर वजह सबूत जब्त किये गये। मौके पर उक्त सिलेण्डरों के भण्डारण संवंधित कोई भी वैध दस्तावेज **श्री दयाराम पुत्र श्री चुननाथ** द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री दयाराम पुत्र श्री चुननाथ की दुकान पर पाये गये 16 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं एक कांटा, एक छोटा सिलेण्डर, ब्लयू बुक (3. साधारण एवं 20 उज्जवला योजना) 6 पाईप प्लास्टिक, 2 बासुरी एवं तीन प्लास्टिक पाईप मय रेगयुलेटर, 03 मोटर को जरिये फर्द जब्ती जप्त किये गये एवं **काशीराम पुत्र श्री रामकुमार उम्र 35 वर्ष जाति जाट, गोदाम कीपर, श्री दुर्गा इण्डेन गणेशगढ़** को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका व जब्ती एवं फर्द सुपुदर्गीनामा अलग से तैयार किया गया। उपर्युक्त जांच में यह स्पष्ट है कि श्री दयाराम पुत्र श्री चुननाथ द्वारा द्वारा अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग करते हुए अवैध गैस रिफिलिंग कार्य में किया जा रहा था। दयाराम पुत्र श्री चुननाथ के द्वारा घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर से अवैध गैस रिफलिंग का लेकर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1)(ख) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन्न किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा के तहत मौके से 16 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर मय 227.2 किलोग्राम गैस एवं एक कांटा, एक छोटा सिलेण्डर, ब्लयू ब्लयू बुक(3 साधारण एवं 20 उज्जवला योजना) 6 पाईप प्लास्टिक, 2 बांसुरी एवं तीन प्लास्टिक पाईप मय रेग्युलेटर, 03 मोटर को राजसात करने का आदेश किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि बुडानिया मार्केट मैन रोड़, नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर की दुकान में घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रिफिलिंग के कार्य में उपयोग किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टॉफ दिनांक 21.09.2024 को उक्त दुकान पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच मौके पर **श्री दयाराम पुत्र श्री चुननाथ जाति नाथ उम्र 55 वर्ष निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर** उपस्थित मिला जिन्होंने स्वयं को उक्त दुकान का मलिक बताया। श्री दयाराम पुत्र श्री चुननाथ की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया

अति० जिला कलैक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

उक्त दुकान की जांच में पाया कि दुकान में घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रिफिलिंग के कार्यों में उपयोग किया जाता है। मौके पर उक्त दुकान में 16 घरेलू गैस सिलेण्डर, एक कांटा, एक छोटा सिलेण्डर, ब्लयू बुक (3 साधारण एवं 20 उज्जवला योजना) 6 पाईप प्लास्टिक, 2 बांसुरी एवं तीन प्लास्टिक पाईप मय रेगयुलेटर, तीन मोटर पाये गये। मौके पर दयाराम पुत्र श्री चुननाथ अवैध गैस रिफलिंग करता पाया गया। मौके पर 09 घरेलू गैस सिलेण्डर भारत गैस कम्पनी एवं 07 घरेलू गैस सिलेण्डर जो इंडेन गैस कम्पनी के है। मौके पर पाये गये 16 घरेलू गैस सिलेण्डर, एक कांटा, एक छोटा सिलेण्डर, ब्लयू बुक (3 साधारण एवं 20 उज्जवला योजना) 6 पाईप प्लास्टिक, 2 वांसुरी एवं तीन प्लास्टिक पाईप मय रेगयुलेटर, तीन मोटर वजह सबूत जब्त किये गये। मौके पर उक्त सिलेण्डरों के भण्डारण संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज **श्री दयाराम पुत्र श्री चुननाथ** द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री दयाराम पुत्र श्री चुननाथ की दुकान पर पाये गये 16 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं एक कांटा, एक छोटा सिलेण्डर, ब्लयू बुक (3. साधारण एवं 20 उज्जवला योजना) 6 पाईप प्लास्टिक, 2 बासुरी एवं तीन प्लास्टिक पाईप मय रेगयुलेटर, 03 मोटर को जरिये फर्द जब्ती जप्त किये गये एवं **काशीराम पुत्र श्री रामकुमार उम्र 35 वर्ष जाति जाट, गोदाम कीपर, श्री दुर्गा इण्डेन गणेशगढ़** को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका व जब्ती एवं फर्द सुपुदर्गीनामा अलग से तैयार किया गया।

इस प्रकार **श्री दयाराम पुत्र श्री चुननाथ** द्वारा द्वारा अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग करते हुए अवैध गैस रिफिलिंग कार्य में किया जा रहा था। दयाराम पुत्र श्री चुननाथ के द्वारा घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर से अवैध गैस रिफलिंग का लेकर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1)(ख) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। अतः अप्रार्थी **श्री दयाराम पुत्र श्री चुननाथ** से मौके पर 16 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर मय 227.2 किलोग्राम गैस एवं एक कांटा, एक छोटा सिलेण्डर, ब्लयू ब्लयू बुक(3 साधारण एवं 20 उज्जवला योजना) 6 पाईप प्लास्टिक, 2 बांसुरी एवं तीन प्लास्टिक पाईप मय रेग्युलेटर, 03 मोटर को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्री गंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
(प्रशासन), श्रीगंगानगर